संख्या-2/2025/I/988924/2025/001-50-1099/41/2025

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/ विकास दल
एवं युवा कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

युवा कल्याण अनुभाग लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2025

विषय:- जनपद-फतेहपुर के ग्राम पंचायत-महरहा,विकासखण्ड-मलवॉ में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 881.61 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु० 440.80 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में |

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-03/छ:-20/यु०क०/2024, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान सं०-14 के अधीन लेखाशीर्ष- " 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - 800 - अन्य व्यय - 06 - ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण (नए कार्य)- 24- वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू. 25.00 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड मात्र) में से जनपद-फतेहपुर के ग्राम पंचायत-महरहा,विकासखण्ड-मलवॉ में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराये जाने हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 881.61 लाख(रूपये आठ करोड़ इक्यासी लाख इकसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 440.80 लाख (रूपये चार करोड़ चालीस लाख अस्सी हज़ार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) महानिदेशक, युवा कल्याण द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर शासनादेश संख्या- I/908826/2025 दिनांक 18 मार्च, 2025 द्वारा उक्त कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि० को उक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 नवम्बर 2022 में निहित व्यवस्थानुसार महानिदेशक, युवा कल्याण द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।

(3) कार्य की विशिष्टिया मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों के गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन दवारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के आसनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देश के आलोक में कार्य की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरान्त यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित प्रक्रियानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो में द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान मे किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) लेवर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(10) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड - 6 के अध्याय-12 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भः किया जायेगा ।

(11) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/ दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में ही अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा, जिससे टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो ।

(13) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(14) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (Consumed) की गयी सामग्री यथा- सीमेन्ट, स्टीट इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये।

(16) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस- 2021- 10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाये। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठित करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(17) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रु0 5.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। प्रभाग का मत है कि प्रशासकीय विभाग द्वारा विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू०पी०पी०सी०एल० से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाये।

(18) प्रायोजना प्रस्ताव के अन्तर्गत मिट्टी भराई हेतु एकमुश्त रू0 6.59 लाख की लागत प्रस्तावित किया गया है। कार्यस्थल में मिट्टी भराई से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा गठित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तकनीकी समिति की मिट्टी भराई सम्बन्धित रिपोर्ट नहीं होने के कारण प्रभाग द्वारा एकमुश्त धनराशि रू0 5.00 लाख अनुमन्य किये जाने के कारण लागत में कमी हुई है।

(19) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(20) महानिदेशक, युवा कल्याण द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(21) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / महानिदेशक, युवा कल्याण का होगा।

(22) प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(23) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व महानिदेशक, युवा कल्याण का होगा।

(24) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(25) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में महानिदेशक, युवा कल्याण इस बात का ध्यान रखेगे कि धनराशि स्वीकृत कर सीधे सम्बंधित विभाग/संस्था के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी |

(26) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व महानिदेशक, युवा कल्याण का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(27) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व महानिदेशक, युवा कल्याण का होगा।

(28) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(29) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने / गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व महानिदेशक, युवा कल्याण का होगा।

(30) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(31) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(32) ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण संचालन, प्रबंधन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में युवा कल्याण विभाग के शासनादेश/नीति दिनांक 14 मार्च, 2023 में विहित समस्त प्रावधानों के अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व महानिदेशक, युवा कल्याण का होगा |

(33) युवा कल्याण विभाग में खेल अवस्थापना के सृजन हेतु मॉडल एस्टीमेट/डिजाईन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या- I/494345/2024 दिनांक 13 फरवरी, 2024 का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने का उत्तरदायित्व महानिदेशक, युवा कल्याण का होगा |

(34) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (इप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिदेशक, युवा कल्याण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित हैं।

(35) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनाँक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायें। ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(36) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मानचित्रो को आवश्यकतानुरूप महानिदेशक, युवा कल्याण द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथोरिटीस से स्वीकृत कराया जाएगा |

(37) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021 दिये गये प्रावधानों के अनुसार महानिदेशक, युवा कल्याण / कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(38) प्रायोजनान्तर्गत बेंच, ओपेन जिम एवं उपकरण आदि कार्यमदों की लागत बाजार दरों/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है।

(39) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। महानिदेशक, युवा कल्याण द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,40,80,000 (रुपये चार करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 014 **लेखा शीर्षक** 4070008000600 ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम का निर्माण (नये कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-2-21-X-2025-26-दिनांक:29-5-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-2/2025/I/988924/2025/001-50-1099/41/2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) , प्रथम / द्वितीय , उत्तर प्रदेश , प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम / द्वितीय , उत्तर प्रदेश , प्रयागराज,
3. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर,
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ,
5. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग -2 ,
6. वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग -1 ,
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, लखनऊ,
8. जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, फतेहपुर,
9. गार्ड बुक हेतु |

आज्ञा से,
शिव गोपाल सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।